कृषि निदेशालय, बिहार
(राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कोषांग)

ई–मेल : rkvy.bihar@gmail.com वेबसाईट : www.krishi.bih.nic.in
दूरभाष/फैक्स सं० : 0612-2204388

पत्र सं०–रा०कृ०वि०यो०को०–21/2015 4429 कृ०, पटना, दिनांक 24 अक्टूबर, 2016

प्रेषक,

संजय कुमार सिंह
उप निदेशक (रसायन) गुण नियंत्रण
–सह–
प्रभारी पदाधिकारी, रा०कृ०वि०यो०,
बिहार, पटना।

सेवा में,

उप निदेशक (शष्य) सूचना,
बिहार, पटना।

विषय :– **लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए नामांकन भेजने के संबंध में।**

प्रसंग :– सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–13178, दिनांक–27.09.2016

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि प्रचारित करने हेतु प्रासंगिक पत्र (अनुलग्नक सहित) विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

2. प्रस्ताव पर कृषि निदेशक, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०:–यथोक्त।

विश्वासभाजन
22/10/16
(संजय कुमार सिंह)
उप निदेशक (रसायन) गुण नियंत्रण
–सह–
प्रभारी पदाधिकारी, रा०कृ०वि०यो०,
बिहार, पटना।

297

मेल/स्पीड पोस्ट 30 SEP 2016 6389

पत्र संख्या : 1/ वि0—1026/2014—सा0 प्र0—13178

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

कृषि निदेशक कार्यालय पत्र पंजी 03 OCT 2016 संख्या 5129 बिहार, पटना

कन्हैया लाल साह,
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना—15, दिनांकः 27 सितम्बर, 2016

विषयः— लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए नामांकन भेजने के संबंध में।

प्रसंगः— कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्रांक—के—11021/22/2016—ए आर—I दिनांक—24.08.2016.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की अनुलग्नक सहित छायाप्रति संलग्न करते हुए निदेशानुसार कहना है कि केन्द्र और राज्य सरकारों के पदाधिकारियों के विशिष्ट और नवाचारी कार्यों को मान्यता देने, पहचान दिलाने और पुरस्कृत करने के निमित्त भारत सरकार द्वारा लोक प्रशासन के उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रधान मंत्री पुरस्कार प्रदान करने की पहल की गयी है। ये पुरस्कार माननीय प्रधान मंत्री द्वारा सिविल सेवा दिवस के दिन दिये जाते हैं। संलग्न पत्र की अनुसूची —I में कार्यक्रम का विवरण है।

2. आलोच्य पुरस्कार भारत सरकार के प्राथमिकता आधारित कार्यक्रमों को उत्कृष्टता से लागू करने के लिए दिये जाते हैं।

साथ ही, पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन, जल संरक्षण, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला और शिशु केन्द्रित नवाचार आदि भी इस संदर्भ में विचारित होंगे।

3. सिविल सेवा दिवस —2017 के अवसर पर प्रदान किये जाने वाले प्रासंगिक पुरस्कारों के लिये चिह्नित प्राथमिकता आधारित कार्यक्रम अग्रलिखित हैं :—

(i) प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना।
(ii) दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना।
(iii) प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना।
(iv) स्टार्ट अप इंडिया/ स्टैंड अप इंडिया।
(v) ई—नेशलन एग्रीकल्वर मार्केट (राष्ट्रीय ई—मंडी)।

3.1 प्रसंगवश उल्लेखनीय होगा कि राज्य सरकार के सुशासन के कार्यक्रम 2015—2020 के तहत विकसित बिहार के लिए निर्धारित सात निश्चय भी नवाचारी प्रयोग हैं। ये निश्चय निम्नवत् हैंः—

(i) आर्थिक हल, युवाओं को बल
(ii) आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार
(iii) हर घर बिजली लगातार

296

(iv) हर घर नल का जल

(v) घर तक, पक्की गली– नालियाँ

(vi) शौचालय निर्माण, घर का सम्मान

(vii) अवसर बढ़े, आगे पढ़ें

3.2 सात निश्चय से संबंधित विवरण अनुलग्नक –iii के रूप में संलग्न है।

4. प्राथमिकता आधारित कार्यक्रमों से संबंधित पुरस्कारों के लिए जिला/कार्यान्वित करने वाली इकाईयों द्वारा आवदेन समर्पित किये जा सकते हैं। नवाचारों के लिए केन्द्र/राज्य सरकार के संगठन (जिला सहित) आवेदन भेज सकते हैं। पुरस्कार हेतु विचारणीय अवधि अप्रैल,2015 से दिसम्बर,2016 है।

5. प्राथमिकता आधारित कार्यक्रम/कार्यक्रमों के पुरस्कारों की स्पर्धा में भाग लेने के लिए जिला द्वारा कम–से–कम एक कार्यक्रम का चयन अपेक्षित है। यद्यपि, जिलों द्वारा अधिकाधिक कार्यक्रमों का चयन किया जाना चाहिए ताकि उनकी व्यापक भागीदारी संभव हो सके। जिलों द्वारा चयनित प्राथमिकता आधारित कार्यक्रम/कार्यक्रमों की सूचना प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को अनुबद्ध पत्र की अनुसूची –II के प्रपत्र में विलम्बतम दिनांक–30.09.2016 तक भेजी जा सकती है।

6. साथ ही, केन्द्र/राज्य सरकारों के संगठनों/जिलों द्वारा पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन, जल संरक्षण, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला और शिशु केन्द्रित नवाचारों एवं राज्य सरकार के सुशासन के कार्यक्रम 2015–2020 के तहत निर्धारित सात निश्चय आदि के लिए किये गये नवाचारी कार्यों को भी पुरस्कारों की स्पर्धा में रखा जा सकता है।

7. पुरस्कार हेतु आवेदन भारत सरकार द्वारा संसूचित होने वाले प्रपत्र में 01 जनवरी,2017 से ऑन लाइन समर्पित होंगे। आवेदकों द्वारा उपलब्धियों की विस्तार से चर्चा करते हुए – विशेषतः किसी अधिकारी/संगठन द्वारा लोक प्रशासन के क्षेत्र में आरंभ किये गये नये प्रयोगों को उजागर कर, आवेदन समर्पित किये जा सकते हैं।

8. अतः अनुरोध है कि भारत सरकार के अनुलग्न पत्र के आलोक में अपेक्षित कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित कर संगत अभिलेखों के साथ उसकी विधिवत सूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

27/9/16

सरकार के अवर सचिव।

सी. विश्वनाथ
सचिव
C. VISWANATH
SECRETARY
Tel : 011-23742133
Fax : 011-23742546
E-mail : secy-arpg@nic.in

भारत सरकार,
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय,
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग,
सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS,
DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS
& PUBLIC GRIEVANCES,
SARDAR PATEL BHAVAN, SANSAD MARG,
NEW DELHI-110001

D.O. No. K-11021/22/2016-AR-I August 24, 2016

Dear Chief Secretary,

Government of India has instituted "Prime Minister's Awards for Excellence in Public Administration" to acknowledge, recognize and reward the extraordinary and innovative work done by officers of the Central and State Governments. The Awards are presented by the Hon'ble Prime Minister on the occasion of the Civil Services Day. Copy of the Scheme, is enclosed as **Annexure-I**.

2. Awards are given for Excellence in implementing Priority Programmes of Government of India. In addition, innovations in environment conservation, disaster management, water conservation, energy, education and health, women and child centric initiatives etc. will also be considered for Prime Ministers' Award for Excellence in Public Administration.

3. Following Priority Programmes have been identified for the awards to be presented on CSD, 2017:-

i. Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana
ii. Deendayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana
iii. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
iv. Start Up India/Stand Up India
v. e-National Agriculture Market (National e-Mandi)

4. For Priority Programmes, Districts/Implementing Units are eligible to apply and for Innovations, Organizations of Central/State Government including Districts can send their applications for the awards. The period for consideration of award is April, 2015 to December, 2016.

5. For the awards in implementation of Priority Programme(s), each District is expected to choose at least one Priority Programme for competing under this scheme. However, Districts may be sensitized to choose maximum number of Priority Programmes so that there can be a wider participation. The Priority Programme(s) selected by the District may be communicated to this Department latest by 30.09.2016 in the format as at **Annexure-II**.

6. In addition, organizations of Central/State Governments/Districts which have done innovative work in the field of environment conservation, disaster management, water conservation, energy, education and health, women and child centric initiatives etc. may also be sensitized to compete for the awards.

7. Applications for the award shall be received online from 1st January, 2017 in the format to be communicated. Applicants may send their application detailing their achievement specifically highlighting path-breaking innovation done by any of the functionary/organization.

8. The above Scheme may be publicized widely.

9. We expect that the Scheme would generate greater enthusiasm and wider participation this year.

With regards,

Yours sincerely,

(C. Viswanath)

Chief Secretary/Administrator of the State/UTs
(As per the list attached)

सत्यमेव जयते

Scheme for Prime Minister's Awards for Excellence in Public Administration

August 2016

Department of Administrative Reforms and Public Grievances
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Government of India